

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
अररिया।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।

पटना, दिनांक- 12/9/18

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा मुख्यमंत्री नली-गली योजना मद अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-08/2017-18 के ग्रुप सं०-22 के कार्य वार्ड नं०-05 अन्तर्गत रघुनाथ राय के घर से शिव मंदिर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया का पत्रांक-994 दिनांक-14.05.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1069 दिनांक-24.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा मुख्यमंत्री नली-गली योजना मद अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-08/2017-18 के ग्रुप सं०-22 के कार्य वार्ड नं०-05 अन्तर्गत रघुनाथ राय के घर से शिव मंदिर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य हेतु मान्य 03 निविदाकार (1) गणेश कन्सट्रक्शन, (2) श्री सोहन कुमार राय एवं (3) मे० विधाता कन्सट्रक्शन का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक-30.08.2018 को उपस्थित निविदाकारों/उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में मे० विधाता कन्सट्रक्शन का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित मे० विधाता कन्सट्रक्शन को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 30,79,163/- (तीस लाख उन्नासी हजार एक सौ तीरसठ) रूपये मात्र से 10% कम अर्थात् राशि 27,71,247/- (सताईस लाख एकहत्तर हजार दो सौ सैंतालीस) रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, अररिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 03 (तीन) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाया आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।